<u>न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, लालगंज अझारा, प्रतापगढ</u>
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–23/2026

<u>जमानत आदेश</u>

प्रार्थी/ अभियुक्त, अरुण सरोज की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निस्तारण हेतु बल दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त, अरुण सरोज, न्यायिक अभिरक्षा में जनपद कारागार, प्र–तापगढ में निरुद्ध है। सुना व पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

प्रार्थी/ अभियुक्त, अरुण सरोज की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा घटना कारित नही की गयी है अपितु, वादिनी द्वारा अपनी लड़की को कही अन्य जगह पर रख–कर प्रार्थी को फसाया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विपक्षी/उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

सुना व पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात है कि प्रार्थी, प्रस्तुत प्रकरण, मु अ संख्या–47/2026 अंतर्गत धारा–137(2),87, भा न्या सं, 2023, थाना–उदयपुर, प्रतापगढ में अभियुक्त हैं। प्रार्थी पर अपराध अंतर्गत धारा–137(2),87, भा न्या सं, 2023 कारित किये जाने का आरोप है। रिमांड प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रकरण के बावत विवेचना प्रचलित है तथा प्रार्थी, दिनांक 22.05.2026 से जनपद कारागार, प्रतापगढ में निरुद्ध है। भा ना सु सं, 2023 की प्रथम अनुसूची के अनुसार आरोपित अपराध, संज्ञेय प्रकृति का अजमानतीय अपराध है व सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृ–ष्टिगत रखते हुये न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/ अभियुक्त, अरुण सरोज की ओर से जमानत हेतु प्रस्तुत आधार पर्याप्त नही हैं व जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/ अभियुक्त, अरुण सरोज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 30.05.2026

(अशोक कुमार–XIV),
न्यायिक दण्डाधिकारी,
बाह्य न्यायालय, लालगंज अझारा, प्रतापगढ
जे ओ कोड–UP3774

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.05.30 12:29:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court